आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 28.05.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

1. ईद–उल–जुहा के अवसर पर, उप–राज्यपाल ने कहा कि यह पवित्र त्योहार निस्वार्थता, करुणा और मानवता की सेवा के मूल्यों का प्रतीक है।
2. प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने का आग्रह किया है।
3. वाहनों के लोड की प्रभावी निगरानी व विनियमन सुनिश्चित करने, के लिए परिवहन विभाग की ओर से प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
4. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है।

<><><><><><><>

ईद–उल–जुहा के अवसर पर, द्वीपों के उप–राज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पवित्र त्योहार निस्वार्थता, करुणा और मानवता की सेवा के मूल्यों का प्रतीक है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाईचारे, सामाजिक सद्भाव तथा शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के बंधनों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। उप–राज्यपाल ने लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने और क्षमा, उदारता तथा आपसी सम्मान के शाश्वत आदर्शों को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराने की अपील की। अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी बकरीद के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने विकसित भारत दो हजार सैंतालीस के तहत एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने का आग्रह किया है। खाद्य तेल का अत्यधिक सेवन और खाना पकाने के तेल का बार–बार उपयोग करने से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, फैटी लिवर और अन्य पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। इस सिलसिले में द्वीपवासियों को अपने दैनिक खाद्य तेल के उपभोग में कम से कम 10 प्रतिशत की कटौती करने और स्वस्थ खान–पान की आदतों को अपनाने की सलाह दी गई है। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए, नागरिकों को कम मात्रा में तेल खरीदने, मापने वाले चम्मच का प्रयोग करने, बदल–बदल कर तेल का उपयोग करने, तेल का दोबारा उपयोग न करने, मक्खन और घी सीमित करने, तले हुए और फास्ट फूड से बचने, भोजन बनाने का तरीका बदलने और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है।

<><><><><><><>

श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय के सहयोग से जलापूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त कदम उठाए हैं। वर्तमान में जल की कमी को दूर करने के लिए इन अस्थायी सहायक व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में, लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम तक जहाज द्वारा पानी लाया जा रहा है। इस

सिलसिले में कल एम.वी. सेंटिनल से कुल नब्बे टन पानी लंबा लाइन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा गया। नगरपालिका परिषद द्वारा जहाज के माध्यम से लाए गए कुल दो सौ इक्कतीस टन पानी को अब तक एकत्र किया जा चुका है।

<><><><><><><>

वाहनों के लोड की प्रभावी निगरानी व विनियमन सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग को रोकने और सड़क बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग–4 पर ट्रकों और अन्य परिवहन वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच के लिए एक प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान वाहनों की औचक रूप से जांच की जाएगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि उल्लंघनकर्ताओं को विभाग लिखित आदेश देकर चालक को अपने जोखिम पर अतिरिक्त वजन उतारने का निर्देश दे सकता है। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत उचित जुर्माने का प्रावधान है। अब तक, ओवरलोडिंग के लिए 29 वाहनों की औचक जांच की जा चुकी है। विभाग ने एक बार फिर सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, वाहन मालिकों और चालकों से निर्धारित लोड सीमाओं और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। यह देखा गया है कि अंडमान ट्रंक रोड से गुजरने वाले मालवाहकों में ओवरलोडिंग के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। विभाग आम जनता, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक मालिकों, चालकों और अन्य सभी हितधारकों को ऐसे मोटर वाहन को चलाने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें उस वाहन के लिए निर्धारित स्वीकार्य सकल वाहन वजन या एक्सेल वजन से अधिक लोड ले जाया जा रहा हो।

<><><><><><><>

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में द्वीपसमूह के पात्र व्यक्तियों, गैर–सरकारी संगठनों, संस्थानों, नियोक्ताओं, पुनर्वास पेशेवरों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और अन्य हितधारकों को संबंधित पुरस्कार श्रेणियों के तहत आवेदन करने या योग्य उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और उनके सशक्तिकरण व समावेशन की दिशा में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा। विस्तृत दिशानिर्देश और अन्य जानकारियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति समाज कल्याण निदेशालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन शिक्षु (संशोधन) अधिनियम उन्नीस सौ इकसठ और उसके संशोधनों के तहत विभिन्न विषयों में एक वर्ष की अवधि के लिए संबंधित श्रेणी में डिग्री या डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को बारह हजार तीन सौ और डिप्लोमा अप्रेंटिस को दस हजार नौ सौ रूपये का वजीफा दिया जाएगा। उम्मीदवार nats.education.gov.in पर जाकर अपना

ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद, उम्मीदवारों को विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिसशिप अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो सात जून तक उपलब्ध रहेगा।

<><><><><><><><>

कालीकट विश्वविद्यालय से संबद्ध फारूक कॉलेज, कोझिकोड, में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वीप समूह के मूल निवासी छात्रों के लिए एक–एक सीट आरक्षित की गई है। कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से कॉलेज के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। फारूक कॉलेज में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पोर्टल पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि इक्कतीस मई है। उम्मीदवारों से अपने आवेदन के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज, विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया और फारूक कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर किए गए पंजीकरण का प्रमाण पत्र सचिवालय के विकास अनुभाग–चार में पांच जून तक जमा करने को कहा गया है।

<><><><><><><><>